बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

श्रीमती जागृति प्रभात, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, नवादा सम्प्रति सहायक प्राध्यापक, टी०एन०बी० महाविद्यालय, भागलपुर के पद पर योगदान हेतु दिनांक–15.01.2018 को विरमित के विरूद्ध श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक–3708, दिनांक–12.07.2017 द्वारा प्रपत्र 'क' गठित करते हुए यह आरोप प्रतिवेदित किया गया कि नवादा जिला में Child Labour Tracking System (CLTS) में दर्ज 72 बच्चों में से दिनांक–30.06.2017 तक मात्र 46 बच्चे के नाम Fixed Deposit कराया गया। यह कृत्य कर्तव्यहीनता, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना तथा स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। श्रमायुक्त, बिहार के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–1972, दिनांक–03.08.2017 एवं अनुवर्ती पत्रों द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 19 के तहत श्रीमती जागृति प्रभात से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

2. श्रीमती जागृति प्रभात का स्पष्टीकरण कार्यालय, उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1577, दिनांक–01.11.2017 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। श्रीमती जागृति प्रभात ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि उनके कार्यालय के पत्रांक–108 दिनांक–22.02.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी के माध्यम से नवादा जिले में CLTS में दर्ज 72 विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु अधियाचना भेजी गई जिसके आलोक में श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक–788 दिनांक–31.03.2017 द्वारा आवंटन प्राप्त हुआ। श्रीमती जागृति प्रभात ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा प्रथम चरण में 18 विमुक्त बाल श्रमिकों को FD हेतु संचिका पर दिनांक–31.05.2017 को एवं दूसरे चरण में 28 विमुक्त बाल श्रमिकों को FD हेतु संचिका पर दिनांक–15.06.2017 को जिला पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया अर्थात दिनांक–30.06.2017 तक उनके द्वारा विमुक्त 46 बाल श्रमिकों के FD हेतु कार्रवाई की गई। तत्पश्चात 13 विमुक्त बाल श्रमिकों के नाम से FD कराने हेतु संचिका दिनांक–30.06.2017 को उपस्थापित किया गया, परन्तु जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा किसी वरीय पदाधिकारी को तत्समय श्रम संसाधन विभाग से संबंधित कार्य आवंटित नहीं किये जाने के कारण संचिका वरीय पदाधिकारी को उपस्थापित नही की जा सकी। इसी बीच विभागीय अधिसूचना संख्या–32 दिनांक–30.06.2017 द्वारा श्रीमती जगृति प्रभात का स्थानांतरण श्रम अधीक्षक मुजफ्फरपुर–02 के पद पर हो गया जिसके कारण शेष विमुक्त बाल श्रमिकों के नाम से FD कराने हेतु संचिका उपस्थापित नहीं की जा सकी। श्रीमती जागृति प्रभात ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि 72 बाल श्रमिकों के लिए भेजी गई अधियाचना श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर आधारित था जिसमें उनके द्वारा विमुक्त बाल श्रमिकों को सत्यापित बताया गया था एवं आधार कार्ड बनने एवं बैंक खाता खुलवाने का कार्य प्रक्रियाधीन बताया गया था। किन्तु बाद में 17 वैसे विमुक्त बाल श्रमिकों को चिन्हित किया गया जिनकी CLTS में दर्ज आयु तो विमुक्ति के समय 14 वर्ष से कम अंकित थी परन्तु उपलब्ध आधार कार्ड में अंकित आयु की गणना करने पर विमुक्ति के समय उनकी आयु 14 वर्ष से अधिक ज्ञात हुई। स्पष्ट दिशानिर्देश के अभाव में उक्त 17 बाल श्रमिकों को तत्काल रूप से लम्बित रखने का निदेश उन्हें प्राप्त हुआ। श्रीमती जागृति प्रभात ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि नवादा जिला में दशहरा के बाद बड़े स्तर पर प्रवास होता है। प्रवासी वर्षा के मौसम के शुरूआत के साथ लौटना शुरू करते है जिसके कारण श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा विमुक्त बाल श्रमिकों के सत्यापन एवं आधार कार्ड प्राप्त करने तथा बैक खाता खुलवाने में विलम्ब हुआ। श्रीमती जागृति प्रभात ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि उनके पदस्थापन काल में अन्य कई कार्य सुचारू रूप से संचालित किये गये जिसे उनके विरूद्ध आरोप गठित करते समय कोई मूल्य नहीं दिया गया।

3. श्रीमती जागृति प्रभात से प्राप्त स्पष्टीकरण पर श्रमायुक्त, बिहार का मंतव्य प्राप्त किया गया। श्रमायुक्त, बिहार के मंतव्य के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव श्रीमती जागृति प्रभात, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, नवादा सम्प्रति सहायक प्राध्यापक, टी०एन०बी० महाविद्यालय, भागलपुर के पद पर योगदान हेतु दिनांक—15.01.2018 को विरमित, के स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाता है।

6. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्रीमती जागृति प्रभात, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, नवादा सम्प्रति सहायक प्राध्यापक, टी०एन०बी० महाविद्यालय, भागलपुर के पद पर योगदान हेतु दिनांक—15.01.2018 को विरमित, को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक— 6/श्रम वि० आ०(02)—21/2017 श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह०/—
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक— 6/श्रम वि० आ०(02)—21/2017 श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक— 6/श्रम वि० आ०(02)—21/2017 श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— जिला पदाधिकारी, नवादा/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, नवादा/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–21/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– श्रीमती जागृति प्रभात, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, नवादा सम्प्रति सहायक प्राध्यापक, टी०एन०बी० महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–21/2017 श्र०सं०– 365 पटना, दिनांक–09/02/2018
प्रतिलिपि– श्रमायुक्त, बिहार, पटना/सभी अपर सचिव/उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/लोक सूचना पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 06 (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/2/18
सरकार के उप सचिव